[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

इस मामले में श्री हीरेन मुकर्जी द्वारा कही गई कुछ बातें निकाली गयी थीं पर उन्हें इस की सूचना नहीं दी गई थी। मेरा निवेदन है कि संबंधित सदस्य को तुरन्त इस की सूचना दे दी जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब भी किसी माननीय सदस्य के भाषण का कोई अंश निकाला जायेगा, उसे उस की सूचना तुरन्त दी जायेगी। इस मामले में हो सकता है कि सम्बन्धित माननीय सदस्य को सूचना न दी जा सकी हो। आगे से ऐसा ही होगा कि सम्बन्धित माननीय सदस्य को तुरन्त सूचित किया जायेगा।

भारत चीन संबंधों के बारे में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्री चाऊ एन-लाइ को मैं ने जो पत्र १८ नवम्बर को लिखा था, उस का उत्तर मुझे तीन दिन पूर्व १८ दिसम्बर को पीकिंग स्थित अपने राजदूत द्वारा प्राप्त हुआ। यह पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है, अतः उस के ब्यौरों को बताना मैं आवश्यक नहीं समझता।

इस पत्र को पढ़ कर मुझे बहुत खेद हुआ है। मैंने अपने पत्र में भारत-चीन सीमा पर व्याप्त आतंक को तुरन्त कम करने तथा सीमा संबंधी समस्याओं को शान्तिपूर्वक रूप से हल करने के लिये जो उचित व व्यवहारिक प्रस्ताव रखे थे, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। इस पत्र में केवल हमारे राज्य क्षेत्र के उस बड़े भाग की जो इतिहास, परम्परा तथा समझौते के आधार पर सदा से भारत का अभिन्न अंग रहा है, मांग को दोहराया गया है। इस में मेरे २६ सितम्बर के पत्र तथा ४ नवम्बर को भेजे गये टिप्पण का, जिस में स्थिति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का, उल्लेख किया गया था, कोई उत्तर नहीं है। श्री चाऊ एन-लाई ने लिखा है कि मेरे पत्र तथा टिप्पण का उत्तर वह निकट भविष्य में भेजेंगे।

मैंने श्री चाऊ एन-लाई को आज उत्तर भेज दिया है जिस में मैं ने उपरोक्त तथ्यों का जिक्र किया है और यह भी लिखा है कि मुझे यह जान कर खेद है कि हाल में चीनी सेनाओं ने भारतीय क्षेत्रों पर जो कब्जा कर लिया है, उन्हों ने उसे अपनी मांग का आधार बनाया। वास्तव में इन्हीं छोटे-छोटे आक्रमणों ने वर्तमान स्थिति पैदा की है। पत्र में मैं ने यह भी लिखा है कि मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं कर सकता कि भारतीय सेनाओं ने चीन के किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है या कोंगका दर्रे या लौंगजू पर, जहां हमारी चौकियों पर चीनी सेनाओं ने आक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है.

प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन-लाई ने अपने पत्र में लिखा है कि जो भारतीय व्यक्ति चेनमो घाटी में बन्दी बनाये गये थे, उन के साथ "दोस्ताना ढंग से" व्यवहार किया गया था। मैं ने उन का ध्यान फिर से श्री करमसिंह के वक्तव्य तथा उन के और उन के साथियों के साथ, जब कि वे चीन की सीमा सेनाओं के कब्जे में बन्दी थे, किये गये व्यवहार की ओर दिलाया है। श्री करमसिंह के वक्तव्य से साफ पता लगता कि भारतीय बन्दियों के साथ कैसे बुरा तथा निन्दनीय व्यवहार किया गया था।

श्री चाऊ एन-लाई ने सुझाव रखा है कि २६ दिसम्बर को मुझे और उन्हें मिल कर उन सिद्धान्तों के संबंध में तय करना चाहिये जिन के आधार पर दोनों पक्षों के पदाधिकारी आगे के ब्यौरों के संबंध

---

†मूल अंग्रेजी में

में बात चीत करें। मैंने पहले जो कहा था वही फिर कहा है कि हमारे दोनों देशों के बीच जो मतभेद है उन को हल करने के उपायों पर बातचीत करने के लिये मैं मिलने के लिये हमेशा तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम सिद्धान्तों पर एक मत कैसे हो सकते हैं जबकि तथ्यों के संबंध में हमारे बीच पूर्णतः मतभेद है। मैं अपने २६ सितम्बर के पत्र तथा ४ नवम्बर के टिप्पण के उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा जिस का उन्होंने वादा किया है और उस के बाद हम इस बारे में फैसला करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या हो। मैंने यह भी लिख दिया है कि अगले कुछ दिनों में रंगून या किसी अन्य स्थान पर जाना मेरे लिये बिल्कुल असंभव है। अपने उत्तर में मैंने लिख दिया है कि मैं उनके पत्र के अन्तिम पैराग्राफ में कही गयी बात से सहमत हूं कि हम दोनों देशों का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम अपनी वर्तमान पिछड़ी हुई स्थिति के ऊपर उठने के लिये दीर्घकालीन कार्यक्रम के आधार पर प्रयत्न करें, तथा अपने दोनों देशों के बीच तथा संसार में तनाव बढ़ाने में सहायक न बनें। भारत इस बात का स्वागत करता है कि विश्व तनाव में कुछ कमी हो गयी है। इसीलिये मैं ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपनी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने की जरूरत है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : श्री चाऊ एन-लाई हमारे प्रधान मंत्री के पास जो कुछ भेजते रहे हैं, उसे वे प्रकाशित करवाते रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने श्री चाऊ एन-लाई को जो यह पत्र भेजा है क्या उसे प्रकाशित किया जायेगा या उस की एक प्रति हमें दी जायेगी ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : पत्र का संक्षेप मैं सभा को बता चुका हूं। दो या तीन दिनों में इसे अखबारों को दे दिया जायेगा। जब वह उस के पास पहुंच जायेगा।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : (पश्चिम दीनाजपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि, श्री चाऊ एन-लाई के पत्र को चीनी दूतावास ने समाचार-पत्रों को दिया था, या भारत सरकार ने।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : पीकिंग में यह पत्र समाचार पत्रों को तथा रेडियो को दिया गया था। पीकिंग स्थित हमारे राजदूत ने श्री चाऊ एन-लाई का जो पत्र हमें भेजा है उस के साथ ही उन्हों ने लिखा है कि ज्योंहि यह पत्र हमें मिल जायेगा, त्योंहि चीन सरकार उसे समाचार पत्रों को दे देगी। उन्होंने उसे समाचारपत्रों को दे दिया है।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : मैं ने तथा विरोधी दलों के नेताओं ने नियम १९३ के अन्तर्गत सूचना दी है कि श्री चाऊ एन-लाई के अन्तिम पत्र पर चर्चा की जाये। इस का कारण यह है कि १६ नवम्बर, के अपने पत्र में हमारे प्रधान मंत्री ने जो प्रस्ताव रखे थे, उन्हें श्री चाऊ-एन-लाई ने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने अपनी पुरानी मांग को ही दोहराया है। सभा इस चर्चा के लिये समय निकाले और यदि समय न हो, तो बैठक आगे बढ़ा दी जाये। चीन के साथ पत्र व्यवहार करने से कोई लाभ नहीं है। समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है। चाऊ एन-लाई के पत्र में जो बातें कही गयी हैं उन का मतलब यही है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। श्री करम सिंह के वक्तव्य को उन्होंने गलत बताया है। अतः पत्र व्यवहार में समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। अतः इस विषय पर चर्चा परम आवश्यक है। आशा है कि इस पर चर्चा के लिये समय निकाला जायेगा।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : सभा को पता है कि विदेशी मामलों के बारे में पैदा होने वाले महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिये मैं स्वयं आतुर रहता हूं। दो बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। आप और सभा इस बात पर चर्चा करने के लिये समय निकाले यह एक भिन्न बात है पर मैं माननीय सदस्य की यह बात नहीं समझ पाया कि समय व्यतीत होता जा रहा है और चर्चा द्वारा समय को व्यतीत होने से रोका जा सकता है। समय तो चर्चा होने के बाद भी व्यतीत होगा ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

माननीय सदस्य ने कहा बातचीत से कोई फायदा नहीं क्योंकि चीन सरकार इस बहाने समय गुजारना चाहती है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है। जहां तक मेरा और इस सरकार का संबंध है, हम अन्तिम स्थिति तक बातचीत करते रहेंगे। बातचीत को समाप्त करने की बात को मैं बिल्कुल अस्वीकार करता हूं। यह तो मूलतः गलत रवैया है और गांधीवादी सिद्धान्त के विरुद्ध है।

यदि माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि युद्ध की घोषणा कर दी जाये, तो मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि वे इस बात पर अधिक ध्यानपूर्वक विचार करें कि युद्ध के परिणाम क्या होते हैं और युद्ध की घोषणा करके हम अपने उद्देश्य को कैसे पूर्ण कर सकेंगे।

अतः मेरा यह विचार है चर्चा के सम्बन्ध में। जो पत्र व्यवहार हो रहा है, वह, हो सकता है कि माननीय सदस्य को या मुझे रुचिकर न हो पर शान्तिप्रिय देश इसी तरह काम करते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा रास्ता तो युद्ध का ही है और हम यथाशक्ति उस रास्ते से बचने की कोशिश करेंगे। यही हमारी नीति रही है। और है भी और यही सभी सभ्य देशों की नीति है। समझौते की सभी संभावनाओं को इस्तेमाल किये बिना कोई ऐसा काम कर बैठना, जो केवल इस काम में उलझने वाले देशों के लिये ही नहीं बल्कि सारे संसार के लिये हानिकारक हो, हंसी खेल की बात नहीं है। हमारी सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। पर तैयारी के रूप में प्रतिरक्षा साधनों को मजबूत बनाने आदि का काम अवश्य तेजी से बढ़ाया जाना चाहिये और उसे यथाशीघ्र तथा यथाशक्ति पूरा किया जाना चाहिये।

चर्चा हो या न हो इस का निर्णय आप और सभा करेगी पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि कल के बाद मैं यहां नहीं हूंगा। मुझे कुछ आवश्यक काम है, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। चूंकि सभा कल समाप्त हो रही है अतः मैंने यह काम पूर्व निश्चित कर लिये हैं।

†**आचार्य कृपालानी :** प्रधान मंत्री द्वारा बार-बार यह कहना कि अमुक काम करने से या अमुक कदम उठाने से युद्ध हो जायेगा और युद्ध बहुत हानिकारक होता है ठीक नहीं है। मैं गांधी जी की नीति के बारे में भी खूब जानता हूं पर एक समय आ गया था जब उन्होंने भी कहा था कि अब कदम अवश्य उठाया जाना चाहिये। मेरा मतलब यह है कि समय व्यर्थ न गंवाया जाये। हमारी सीमा पर विध्वन्सक गतिविधियां हो रही हैं।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** मैं फिर बताना चाहता हूं कि संसार के राष्ट्र केवल दो उपायों से ही व्यवहार करते हैं एक राजनीतिक उपाय से और दूसरा उपाय है, युद्ध। तीसरा कोई रास्ता नहीं है।

†**आचार्य कृपालानी :** यदि कोई पक्ष यह चाहे कि दूसरे पक्ष का समय बरबाद हो तो क्या किया जा सकता है।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर और स्पष्ट रूप से विचार करें, और इस प्रकार एक ही निश्चय पर पहुंचा जा सकता है। बातचीत का उपाय बन्द करने का मतलब युद्ध ही है। माननीय सदस्य समझते हैं कि समय बरबाद हो रहा है। पर कैसे, यह मैं नहीं जानता। मैं तो समझता हूं कि लाभदायक ढंग से समय का उपयोग हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य पुनः इस बात पर विचार करें। बार-बार उसी बात पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा । इस समय हमारे पास कोई अतिरिक्त जानकारी व तथ्य भी नहीं प्रतिरक्षा साधनों आदि को मजबूत बनाने की बात हम कह चुके हैं और उसे यथाशक्ति तेजी से किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने सीमा पर विध्वन्स कार्यवाहियों का जिक्र किया। मुझे इस का कुछ पता नहीं है। (अन्तर्बाधा) : कभी कभी हमारे पत्र भी बातों को बढ़ा चढ़ा कर अफवाह फलाते हैं। हमें हर अफवहा को सही नहीं मान लेना चाहिये। हमें सतर्क रहना अवश्य चाहिये पर बातों को बढ़ा चढ़ा कर देश को गलत बात बताना उचित नहीं है ।

एक बात मुझे और बतानी है। हम ने पीकिंग स्थित अपने राजदूत को परामर्श के लिये दिल्ली बुलाया है और लगभग है ४ दिन में वे आ जायेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : (गोहाटी) : शिलांग से वायु क्षेत्र के उल्लंघन की जो खबर आई है, वह तो अफवाह नहीं है। समाचार पत्रों में यह बात आई है ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : हमारे जो विमान वहां उड़ते हैं, उन्हीं के बारे में खबर उड़ जाती है कि वह शत्रु के विमान हैं। लोग हमारे विमानों को पहिचानते नहीं। हमारे ही विमान वहां उड़ते रहते हैं। हम ने इस बारे में पता लगा लिया है। हमारे ही विमान वहां उड़ते रहते हैं।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : प्रधान मंत्री ने कहा कि समाचार पत्रों को अफवाहों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिय। ध्यान होगा कि कलिम्पोंग से एक समाचार प्रकाशित हुआ था, प्रधान मंत्री ने उस को गलत बताया था पर बाद में वह सत्य सिद्ध हुआ। अतः यदि सरकार हमें सब बातें ठीक समय पर बताती रहे तो समाचार पत्रों की बातों पर हम विश्वास न करें। पर खेद है कि हमें प्रायः सभी बातें देर से बताई जाती हैं ।

बार-बार हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम युद्ध चाहते हैं। हम युद्ध कभी भी नहीं चाहते। पर चर्चा द्वारा सरकार जनता की भावना जान सकती है। तीसरी बात यह है कि उस दिन प्रधान मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सीमा पर चीन ने कोई सड़क वगैरह नहीं बनाई है। केवल एक पुलिया को बनाने का या कोई पत्थर वगैरह हटाने की बात थी। पर श्री चाऊ एन-लाई के पत्र में कहा गया है कि वहां पर ३००० व्यक्ति २ वर्ष से काम करते रहे हैं। इस प्रकार हमारे अनजाने में सस्य बरबाद हो रहा है, इस की हमें चिन्ता है। अतः उन्हें इन बातो का उत्तर देना चाहिये न कि यह कहना चाहिये कि हम युद्ध के इच्छुक हैं ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू**: मैं यह नहीं कहता कि पत्रों की खबरो पर विश्वास नहीं करना चाहिये मैं तो वायु क्षेत्र के उल्लंघन की घटना की बात कर रहा हूं। जिस पर रोज स्थगन प्रस्ताव आते हैं। हम ने पता लगा कर देखा है कि किसी वायुयान ने भी वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है। २०,००० या ३०,००० फुट की ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज को कोई सामान्य व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वह कौन से देश का है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बीच उधर कोई भी विदेशी विमान नहीं आया है क्योंकि हमारे विमान हमेशा उड़ते रहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि अखबारो की हर खबर गलत होती है ।

†**श्री जयपाल सिंह** (पश्चिम राँची—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां): मुझे खेद है कि आचार्य कृपलानी ने अग्रेतर चर्चा की जो बात उठाई थी उस का अर्थ माननीय मंत्री ने गलत समझा है। राजनयिक संबंधों को तोड़ने या लड़ाई छेड़ देने का प्रश्न नहीं है। और भी तरीके हैं, पुर्तगाल से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जय पाल सिंह]

हमने राजनयिक संबंध तोड़ दिये हैं तो क्या हम ने उस से युद्ध किया है। अतः आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने आदि और भी अनेक रास्ते हो सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने काफी सुन लिया है, चूंकि विषय गंभीर है अतः इस चर्चा के लिये मैं कल ४ बजे से ६ बजे या ६½ बज तक का समय निर्धारित करता हूं ।

सभापटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) प्रथम विवरण—नवां सत्र, १९५९

[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ३—आठवां सत्र, १९५९

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १०—सातवां सत्र, १९५९

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १३—छठा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १६—पांचवां सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २४—चौथा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८९]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या २४—तीसरा सत्र, १९५७

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९०]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३०—दूसरा सत्र, १९५७

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९१]

दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन बनाय गये नियम

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा ५८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिल्ली विकास (बृहत योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, १९५९, जो दिनांक ५ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४८ में प्रकाशित हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी०—१८२७/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में